न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 03 / 18 / 2020
तारीख दायरा : 03.11.2020

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र स्व0 घासी जाति दरोगा निवासी पाडा तहसील रैणी जिला अलवर।

............प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

............अप्रार्थी।

(प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)

उपस्थित – श्री प्रदीप दीक्षित एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 05.08.2022

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खाता संख्या 253 खसरा नम्बर 39 रकवा 0.29, खसरा नम्बर 40 रकवा 0.29 है0 वाके ग्राम पाडा तहसील रैणी जिला अलवर में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 ला0 75 स्थित है। जिस आराजी के प्रार्थी के पिता स्व0 घासी पुत्र हरबक्स का 1/2 हि0 दर्ज रिकॉर्ड है जो आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी के खाना खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी के पिताजी के नाम के आगे राजस्व कर्मचारीयान द्वारा गलत तरीके से जाति मीना दर्ज कर दिया है जबकि विवादित आराजी के बन्दोबस्त सम्वत 2046 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 24 मि. रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 रहे है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2020 ला 23 के खाता संख्या 206 प्रार्थी के पिताजी स्व0 घासी पुत्र हरबक्स कि जाति "दरोगा" दर्ज रिकॉर्ड रही है और प्रार्थी के पिता वो प्रार्थी मूलरूप से दरोगा जाति के लोग है किन्तु राजस्व कर्मचारियान द्वारा जमाबन्दी 2024 ला0 27 तैयार करते वक्त खाता संख्या 189 के खाना खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी के पिताजी की जाति गलत तरीके से "राजपूत" दर्ज कर दी और हाल जमाबन्दी में प्रार्थी के पिताजी घासी पुत्र हरबक्स की जाति मीना दर्ज कर दी है। प्रार्थी के पिताजी स्व0 घासी पुत्र हरबक्स का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी हैकियत पर प्रार्थी वो उनके वारिसान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु उनकी विरासत का नामान्तकरण जाति गलत तरीके से मीना दर्ज होने के कारण प्रार्थी वो अन्य वारिसान के नाम दर्ज नही हो पा रहा है। प्रार्थी के पिताजी स्व0 घासी पुत्र हरबक्स कि जाति गलत तरीके से बिना किसी अधिकार के राजस्व कर्मचारियान द्वारा "दरोगा" के स्थान पर राजपूत व उसके स्थान पर "मीना" दर्ज कर दी है जो खिलाफ रिकॉर्ड व खिलाफ कानून है जो क्लेरिकल मिस्टेक या सिलिपिंग ऑफ पेन

कि तारीफ में आती है और इस प्रकार की त्रुटियों को धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्व करने कि श्रीमान को अधिकारिता है इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पूर्वज/पिताजी घासी पुत्र हरबक्स कि जाति साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020 ला0 24 के खाता संख्या 206 अनुसार "दरोगा" हाल समस्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे और घासी पुत्र हरबक्स के नाम के आगे दर्ज शब्द "मीना" हजफ किया जाकर "दरोगा" जाति का अंकन कराया जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार रैणी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की गई है। तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "ग्राम पाडा की हाल जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर 39, 40 में घासी पुत्र हरबक्शराम जाति मीना दर्ज है जबकि उक्त खातेदार की पूर्व जमाबंदी संवत 2020 में वादी की जाति दरोगा दर्ज है तथा संवत् 2027 की जमाबन्दी में वादी की जाति राजपूत दर्ज तथा संवत् 2046 की जमाबन्दी में जाति राजपूत दर्ज है जॉच करने पर पाया कि उक्त वादी की जाति दरोगा है। संवत् 2020 के मुताबिक वादी की जाति दरोगा दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थी की दरोगा जाति शुद्व किया जाना उचित है।"

वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–2075 खाता संख्या 253, जमाबन्दी सम्वत 2020 ला0 23, 2024 ला0 27, 2048 ला0 51, 2052 ला0 55, 2068 ला0 71, मिलान क्षेत्रफल 2046 वाके ग्राम पाडा इत्यादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि रिपोर्ट तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के सही होने की पुष्टि की है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थी के पिताजी घासी पुत्र हरबक्शराम की जाति **दरोगा** ही है। इसप्रकार तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी की और से पुष्टि में प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थी के पिताजी घासी पुत्र हरबक्शराम की जाति दरोगा होने की पुर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि हाल आराजी खाता संख्या 253 खसरा नम्बर 39/0.29, 40/0.29 किता 2 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम पाडा तहसील रैणी जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिताजी घासी पुत्र हरबक्शराम की जाति मीना के स्थान पर दरोगा दर्ज की जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को भिजवायी जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)